

कार्यालय
आयकर आयुक्त
आयकर भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

फा.सं० 58-59/53/80G(5)(vi)/तक/इला/2008-09/4255 दिनांक: 04-02-2009

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के अंतर्गत आदेश-

नव ज्योति सस्थान, 45, अशोक नगर, इलाहाबाद

उपर्युक्त मामले में दिनांक 21-11-2008 के आवेदन के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त ट्रस्ट/संस्था/फंड को दिया गया संदाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के अंतर्गत उक्त धारा और विहित नियमों में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन आपको दिया गया दान दाताओं के पक्ष में छूट के योग्य होगा।

यह कर मुक्ति प्रमाणपत्र दिनांक 21-11-2008 से 20-11-2011 तक वैध है।



(एस० एस० कण्णन)

आयकर आयुक्त
इलाहाबाद

नोट-

1. दान दाताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र दिनांक 21-11-2008 से 20-11-2011 तक वैध है।
2. इस मान्यता प्रमाण पत्र से ट्रस्ट/संस्था/फंड को अपने कर निर्धारण में छूट का दावा करने का स्वतः अधिकार नहीं प्राप्त हो जाएगा। क्या निर्धारिती अधिनियम की धारा 2(15) के अभिप्राय के अंतर्गत पूर्त(चैरिटेबल) है और क्या धारा 11, 12, 12 ए और 13 में दी गई शर्तें पूरी होती हैं, के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी अलग से इसकी जांच करेगा।
3. जहां न्यास/संस्था को व्यवसाय के लाभ और अमान्यता से कोई आय होती है तो उसे दानदाता को इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र जारी करना होगा कि दान से प्राप्त राशि को व्यवसाय में नहीं लगाया गया है तथा ऐसे व्यवसाय के रिकार्ड के लिए अलग से लेखा पुस्तकें बनायी गयी हैं।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. नव ज्योति सस्थान, 45, अशोक नगर, इलाहाबाद
2. आयकर अपर आयुक्त, रेंज- I/ II इलाहाबाद एवं रेंज- III सीरजापुर
3. निर्धारण अधिकारी

आयकर अधिकारी (मुख्यालय)
कृते आयकर आयुक्त, इलाहाबाद